तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 94/2023 GCMS NO. 2023/262 **उनवानी रूड़ाराम आदि बनाम मैसर्स तिरूपति बालाजी स्टोन क्रेशर आदि** **अन्तर्गत धारा 111/128 एल.आर.एक्ट 1956**	

09.05.2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि प्रार्थीगण की ग्राम रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2656/528 रकबा 0.12 हेक्टेयर, की पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 551 के साथ व पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 527 के साथ लगती है तथा खसरा नम्बर 602 रकबा 0.04 हेक्टेयर की उत्तरी सीमा खसरा नम्बर 597 के साथ व पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 603 के साथ लगती है तथा खसरा नम्बर 2937/601 रकबा 0.35 हेक्टेयर की उतरी सीमा खसरा नम्बर 2936/601 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बरों की सर्वेसीट से नपती करवाकर खसरा नम्बर 2656/528 की पूर्वी व पश्चिमी सीमा पर व खसरा नम्बर 602 की उतरी व पश्चिमी सीमा पर तथा खसरा नम्बर 2937/601 की उतरी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम **रामकुमारपुरा** पटवार हल्का **रामकुमारपुरा** तहसील खेतड़ी के हाल खाता संख्या 58 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2656/528 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2937/601 रकबा 0.35 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 602 रकबा 0.04 हेक्टेयर प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2022 द्वारा पटवारी हल्का रामकुमारपुरा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) **खेतड़ी** को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **रामकुमारपुरा** पटवार हल्का **रामकुमारपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2656/528 रकबा 0.12 हेक्टेयर की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा की, खसरा नम्बर 2937/601 रकबा 0.35 हेक्टेयर की उत्तरी सीमा की व खसरा नम्बर 602 रकबा 0.04 हेक्टेयर की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा की पटवारी हल्का **रामकुमारपुरा** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 07.07.2022 के अनुसार 3000/– रूपये की फीस पर भूमि खसरा नम्बर 551, 527, 597, 603, 2936/601 के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 2656/528, 2937/601, 602 की सीमा का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट [illegible] भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **09.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:19:05 IST
Reason: SelfAttested